संख्या–778(1)/ III(2)/ 18–51(एम0एल0ए0)/ 201

प्रेषक,

एस0एस0टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक22 फरवरी, 2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यो हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल 02 मोटर मार्गो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 5.00 किमी0 तथा लागत ₹ 18.68 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 18.68 लाख (₹ अट्ठारह लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 02 कार्यो हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीसे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्धेनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–[illegible] दिनांक

(21)

अधिष्ठान–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्यय [illegible] निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(xi)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता [illegible] संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

[illegible]– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त [illegible] आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार [illegible]

[illegible] यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य [illegible] योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत [illegible] ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

[illegible] निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु [illegible] रही धनराशि ₹ 0.20 [illegible] दिनांक 20 मार्च, 2012 [illegible] वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183 [illegible] एलॉटमेन्ट आई0डी0 [illegible] लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 [illegible] 227 Chief Engineer [illegible]–S1802229277 दिनांक 21 फरवरी, 2018 के द्वारा आपको [illegible] किया गया है।

[illegible] में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष [illegible] में लोक निर्माण [illegible] आयोजनेत्तर–04 जिला तथा [illegible] अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं [illegible] 24 वृहत निर्माण कार्य [illegible] सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 [illegible] 5054–[illegible]–02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–[illegible] दिनांक 20 फरवरी, [illegible] में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– [illegible] /18–51(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/अल्मोड़ा।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

आवंटन पत्र संख्या - 778(A)
अनुदान संख्या - 022
1: लेखा शीर्षक 5054 / 337 / 03 / 02
मानक मद का
24 - वृहत निर्मा
Total Curren

(22)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018 .

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 778(A)/III(2)/18-51(M.L.A.)/2017

अनुदान संख्या - 022

अलॉटमेंट आई डी - S180 20277

आवंटन पत्र दिनांक -21- 6-2018

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

05 - मार्ग सेतु

02 - सड़क निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02में स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहद निर्माण कार्य	8651000	20000	8671000
	8651000	20000	8671000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 20000

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

। पर रखी गयी
ाधित अधिशासी
पुनिश्चित किया
ला इसी है तो
न्तर्गत स्वीकृत
र्य की स्वीकृति
राशि ₹ 0.20
28 मार्च, 2012
न्ट आई०डी०
hief Engineer
लोक निर्माण
जिला तथा
निर्माण कार्य
20 फरवरी,
दीय,
) टोलिया)
सचिव
ांह)
ाव
यन्ता
नि०वि०

शासनादेश संख्या:–778(17)/III(2)/18–51(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 फरवरी–2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत ताकुला–शाम्ला मोटर मार्ग का कंगाडीछीना तक विस्तार नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	11.93	0.10
2	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत ताकुला में मनान से चन्दपुर तक विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	6.75	0.10
		5.00	**18.68**	**0.20**

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा